सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फा.सं.3(2)/सीआर-2006-खंड -I दिनांक : 21.10.2015

वर्ष 2015 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना सं.10

विषय: सीडीसी आवेदन प्रपत्र का आशोधन/ इसे आसान किया जाना और इसे जारी किया जाना-संबंधी.

यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन (सीडीसी) नियमावली, 2001 के नियम 3 के उप खंड 2 के अनुसरण में, इस कार्यालय की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना सं. 18/2002 (फा.सं.43(7)/सीआर/2000-IV) दिनांक 5.09.02 और 25/2002 (फा.सं.43(7)/सीआर/2000-IV) दिनांक 11.10.02 में सतत् उन्मोचन प्रमाण (सीडीसी) को जारी किए जाने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए थे.

2. अनुवर्ती रूप से, सीडीसी को जारी किए जाने की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाए जाने का कार्यान्वयन करने के लिए सीडीसी आवेदन को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया और अधिक सरल की गई तथा इसे इस कार्यालय की वापोप सूचना सं. 4/2007 (फा.सं.3(1)-सीआर/2007) दिनांक 09/04/07 आदेश सं.20/2013 (फा.सं.3(2)-सीआर/ 2006) दिनांक 30.10.13 और वापोप सं.6/2015 (फा.सं.3(2)/सीआर/2006 खंड-I) दिनांक 15.06.15 के अनुसार ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया.

3. नौवहन महानिदेशालय भारत सरकार, के साथ बाहरी हितधारियों की समस्त बातचीत के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रक्रिया को और अधिक आसान करने के लिए, इसे पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस करने के लिए, सीडीसी बदले जाने/ इसकी दूसरी प्रति जारी करवाने के लिए आवेदन तथा इसकी प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निम्नवत् आशोधित/ आसान किया गया है:

--2

3.1. सीडीसी को बदलवाए जाने या इसकी दूसरी प्रति जारी करवाए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है. ऐसे ऑनलाइन सीडीसी का आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए अनुदेश इस सरकारी वेबसाइट (ऊपर बताई गई) के मॉड्यूल में ही उपलब्ध हैं.

3.2. आवेदन के साथ लगाए जाने वाले प्रलेख और फोटोग्राफ अब स्कैन करके उक्त ऑनलाइन प्रणाली में अपलोड किए जा सकते हैं.

3.3. उक्त उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट आधिकारिक शुल्क का भुगतान डेबिडकार्ड/ क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग, विद्यमान ई-पेमेंट गेटवे सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है.

3.4. आवेदकों अब इन आवेदन प्रपत्रों की प्रति और इसके संलग्नक संबंधित नाविक पाल के कार्यालय को हार्ड कॉपी के रूप में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी.

3.5. सीडीसी बदलवाकर जारी किए जाने हेतु आवेदन के मामले में ही (विद्यमान सीडीसी के फट जाने/ विरूपित हो जाने/ इसे क्षति पहुँचने इसके पेज खत्म हो जाने की स्थिति में) संबंधित आवेदक ऑनलाइन आवेदन करके, उसे यह अपेक्षा होगी की वह अपना विद्यमान सीडीसी, मूलरूप में अपना आवेदन सं. विनिर्दिष्ट कर क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नाविक पाल सरकारी नौवहन कार्यालय को अपने आवेदन सं. लिखकर इस आशय के पृष्ठांकन हेतु करेगा, "सर्विस की बजाय मात्र रिकॉर्ड के लिए", जिसे नया सीडीसी जारी करके आवेदक को उक्त नाविक पाल द्वारा लौटा दिया जाएगा.

4. यह सूचना तत्कल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

5. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(डॉ. अमोल बी. किर्तने)
उप नौवहन महानिदेशक (क्रू)